न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 23/2014

1. भूरसिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख साकिन अक्कावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. बलदेवसिंह } पिसरान हाकमसिंह जाति जटसिख साकिन अक्कावाली तहसील व
2. मक्खनसिंह } जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 92ए बाबत घोषणात्मक एवम् बेदखली

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ अधिवक्ता वादीग
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एकपक्षीय दिनांक 01.02.2016

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 10-4-17

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से चक 50 एल.एन.पी. व 22 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) राजस्व रिकार्ड में भिन्न हिस्से दर्ज होनें के कारण मौखिक व घरेलु बंटवारा हो गया था। वादी एवम् प्रतिवादीगण इन दोनों चकों में जो आराजी उनके नाम थी एक दूसरे में बंटवारा करके अलग अलग काश्त करते आ रहे है। यह बंटवारा लगभग 20–25 वर्ष पूर्व हुआ है और इस बंटवारें में हमें वादी एवम् प्रतिवादीगण दोनो व राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी में जिनका बतौर खातेदार दर्ज है, अपनें अपनें सुविधा अनुसार काश्त कर रहे है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण पूर्ण बंटवारें के अनुसार विभाजन होनें के पश्चात वादी के पास जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से वाके चक 22 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 7 में कुल रकबा 3.101 हैक्टर यानि 13 बीघा रकबा का कब्जा वादी के पास रहा और लगभग 25 वर्ष के पूर्व से ही वादी काश्त कर रहा है। पानी की पर्ची लगान आदि अदा कर रहा है।

वादी चक 22 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 7 जिसके वाद पत्र की चरण संख्या 2 में आराजी का उल्लेख किया गया है, इसके बदले में वादी नें अपनें खाते में भिन्न भिन्न चकों की जमाबन्दी संलग्न है। खाता संख्या 29, 33, 38, 67, 68, 15, 40, 53 कुल 3.101 हैक्टर अर्थात 13.00 बीघा रकबा है को प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। और वादी की उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण लगान, पानी की पर्ची आदि बनी हुई है।

प्रतिवादीगण एक संयुक्त परिवार से सम्बंधित है इस वजह से यह बंटवारा दोनों परिवारों की सहमति से हुआ है। और इस बंटवार नामें के अनुसार वादी वर्तमान समय में वाके चक 2 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 7 कुल 13 बीघा पर काबिज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी भी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। वादी नें प्रतिवादीगण को इस सम्बंध में कई बार निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी जो वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड बतौर खातेदार दर्ज है उसको वह अपनें नाम से करवा लेवे तथा

लगातार 2

प्रतिवादीगण जो वादी के कब्जे में वाद पत्र में वर्णित आराजी है, बतौर खातेदार दर्ज करवा लेवें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का वाद उत्पन्न न हो।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण को इस सम्बंध में राजस्व रिकार्ड में वाद पत्र में वर्णित आराजी के सम्बंध में राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित करवानें के लिये कई बार कहा पर वह टाल मटोल करते रहे अन्त में दिनांक 03.03.2014 को कतई इन्कार हो गये। इस कारण वादी को वाद प्रस्तुत करनें का वाद हेतुक है।

वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित आराजी जिसका वह खातेदार है, कभी भी प्रतिवादीगण के कब्जा में दखल अंदाजी नहीं की और ना ही प्रतिवादीगण नें जो वाद पत्र में वर्णित आराजी है, प्रतिवादीगण नें उसके कब्जा में कभी भी दखल अंदाजी नहीं की है। इसलिये वाद पत्र में वर्णित आराजी जिसका वादी खातेदार घोषित करनें के लिये प्रस्तुत कर रहा है। उसके पानी की पर्ची, लगान आदि वादी के नाम से है। इसलिये वादी राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार मुरब्बा नम्बर 7 वाके चक 22 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की 13 बीघा भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। तथा वादी के नाम से जो वाद पत्र में वर्णित आराजी है उसका खातेदार प्रतिवादीगण को घोषित कर उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कर दिया जावे।

वादी के पास प्रतिवादीगण के इन्कार करने पर ही वह न्यायालय में चलकर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवानें हेतु नहीं जाना चाहते है। परन्तु वह उसके कब्जे में ही दखल अंदाजी नहीं करना चाहते है। यदि वादी स्वयं वाद पत्र प्रस्तुत करते है, तो जो वाद पत्र में अनुतोष चाहते है, यदि वह प्राप्त कर लेता है, तो उनको कोई एतराज नहीं है। इसलिये वाद पत्र प्रस्तुत करनें के अलावा अन्य को विधिक उपचार नहीं है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी का निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

1. वादी को इस आशय की डिक्री खातेदार की घोषित की जावे कि मुरब्बा नम्बर 7 के 13 बीघा रकबा वाके चक 22 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खातेदार है।
2. वादी के नाम से जो खाता संख्या 29, 33, 38, 67, 68, 15, 40, 53, कुल 3.101 हैक्टर अर्थात 13 बीघा रकबा वाके वक 50 एल.एन.पी. में हिस्सा दर्ज है, उसका खातेदार प्रतिवादीगण को घोषित कर दिया जावे वादी के खिलाफ डिक्री कर दी जावे।
3. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाद तलबी उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से जबाब पेशकर कथन किया कि वाद पत्र कालपनिक है बंटवारा किस वर्ष हुआ अंकन नहीं है तथा ना ही कोई बंटवारे का साक्ष्य संलग्न है। वाद पत्र में अंकन अनुसार संलग्न अभिलेख के अनुसार वादी एवम् प्रतिवादी ने यदि कोई भूमि की अदला बदली की हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 के अनुसार तबादला दर्ज होने के बाद ही अभिलेख दुरूस्त किया जाना राज्य हित में होगा। वाद पत्र में अंकन अनुसार वाद पत्र विभाजन की श्रेणी में नहीं आता है। बाद सुनवाई राज्य हितो के मध्यनजर निस्तारण हेतु आदेशित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 3

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 50 एल.एन.पी. व चक 22 एल.एन.पी. की भूमि का बंटवारा हो चुका है। तथा भूमि का बंटवारा होनें के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 20–25 वर्षों से अलग–अलग काश्त कर रहे है ? – – वादी
2. आया कि विभाजन उपरान्त वादी के पास प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के नाम की भूमि वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्यों के अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही है ? – – वादी
3. आया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादी प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर स्वयं के खातेदार घोषित करवानें एवम् अपनें अधिकारों की घोषणा करवा पानें का अधिकारी है ? – – वादी
4. आया कि जबाबदावा में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद निरस्त किये जानें योग्य है ? – – स्टेट
5. अनुतोष ?

उक्त तनकियात के सन्दर्भ में वादी की और से साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये जिसमें वाद पत्र के कथनों को दोहराया गया

वादी के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस अपनें वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद वादी स्वीकार किये जाने का कथन किया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली मे कायम की गई तनकियात का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

तनकी नम्बर 1 को साबित करनें का भार वादी पर था जिसके सम्बंध में वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे सिद्ध होता हो की उभयपक्ष के मध्य कोई बंटवारानामा हुआ हो। अतः साक्ष्य के अभाव में तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 को साबित करनें का भार वादी पर था जिसके सम्बंध में वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे सिद्ध होता हो की वाद पत्र में वर्णित भूमि उभयपक्ष के मध्य कोई बंटवारानामा के आधार कर कब्जा काश्त में चली आ रही हो। अतः साक्ष्य के अभाव में तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नम्बर 3 को साबित करनें का भार वादी पर था जिसके सम्बंध में वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे सिद्ध होता हो की वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादी प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर स्वयं के खातेदार घोषित करवानें एवम् अपनें अधिकारों की घोषणा करवा पानें का अधिकारी है अतः साक्ष्य के अभाव में तनकी नम्बर 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नम्बर 4 को साबित करनें का भार प्रतिवादी संख्या 3 (स्टेट) पर था जिसके सम्बंध में पैरोकार राज द्वारा अपनें जबाब दावा में किये गये कथनों से यह सिद्ध होता है, कि वाद पत्र में अंकन अनुसार संलग्न अभिलेख के अनुसार वादी एवम् प्रतिवादी ने यदि कोई भूमि की अदला बदली की हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 के अनुसार तबादला दर्ज होने के बाद ही अभिलेख दुरूस्त किया जाना राज्य हित में होगा। वाद पत्र में अंकन अनुसार वाद पत्र विभाजन की श्रेणी में नहीं आता है। अतः तनकी नम्बर 4 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3 (स्टेट) के पक्ष में किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 4

–:: आदेश ::–

चुँकि तनकी नम्बर 1 ता 3 का निर्णय वादी भूरसिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिंह के विरूद्ध हो चुका है। तथा तनकी नम्बर 4 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3 (स्टेट) के पक्ष में हो चुका है। अतः भूरसिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिंह का वाद पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 188, 92ए खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 10-4-17 को हमारें द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर